



झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

स्वी. सं.-05/आ०प्र०(रा.आ.मो.नि.-शीतलहर)-23/2018-230(स्वी०)/आ०प्र०, रांची दिनांक-26.11.2025

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से.
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड, रांची।

विषय — वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यशीर्ष-2245 अंतर्गत राज्य में शीतलहरी से राहत के उपाय हेतु सभी उपायुक्त, झारखण्ड को कुल राशि 79,00,000/- (उनासी लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश — स्वीकृत।

2. उक्त स्वीकृत राशि राज्य बजट से भारित होगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-338/बजट, दिनांक-28.03.2025 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये निम्न वर्णित बजट शीर्ष से विकलनीय होगी —

क्र०सं०	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि (रुपये में)
1.	मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-13-शीतलहरी से प्रभावित निःसहायों को सहायता अनुग्रह अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य, (गैर वेतन) विपत्र कोड-39-S-2245-80-102-13-00-06-79	79,00,000/- (उनासी लाख) रुपये मात्र।

4. यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में शीतलहरी से राहत के उपाय हेतु प्रदान की जा रही है।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2245 अंतर्गत राज्य में शीतलहरी से राहत के उपाय हेतु स्वीकृत राशि की जिलावार विवरणी निम्नवत् है —

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)
1	राँची	5,00,000/-
2	गुमला	3,00,000/-
3	सिमडेगा	3,00,000/-
4	लोहरदगा	3,00,000/-
5	खूँटी	3,00,000/-
6	पूर्वी सिंहभूम	4,00,000/-

स्वी. सं.-05/आ०प्र०(रा.आ.मो.नि.-शीतलहर)-23/2018-230(स्वी०)/आ०प्र०, रांची दिनांक-26.11.2025

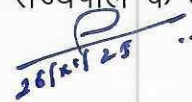
7	पश्चिमी सिंहभूम	4,00,000 /—
8	सरायकेला खरसावाँ	3,00,000 /—
9	पलामू	4,00,000 /—
10	गढ़वा	3,00,000 /—
11	लातेहार	3,00,000 /—
12	हजारीबाग	3,00,000 /—
13	चतरा	3,00,000 /—
14	कोडरमा	3,00,000 /—
15	गिरिडीह	4,00,000 /—
16	धनबाद	3,00,000 /—
17	बोकारो	3,00,000 /—
18	दुमका	4,00,000 /—
19	जामताड़ा	3,00,000 /—
20	देवघर	3,00,000 /—
21	गोड्डा	3,00,000 /—
22	साहेबगंज	3,00,000 /—
23	पाकुड़	3,00,000 /—
24	रामगढ़	3,00,000 /—
कुल		79,00,000 /— (उनासी लाख) रुपये मात्र।

6. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जाएगी।
7. संबंधित उपायुक्त भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भुगतान यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। कोई A.C. bill सृजित नहीं किया जायेगा।
8. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि स्वीकृत की जा रही है।
9. स्वीकृत राशि के व्यय हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।
10. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरणी विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण वित्तीय वर्षांत के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
11. (i) उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार राशि की निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।
(ii) व्यय के पश्चात् विभाग को विहित पत्र GFR19-A में उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।



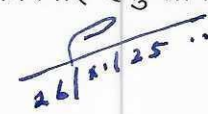
- (iii) स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (iv) महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
13. स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में —
- (i) वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/संकल्पों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
- (ii) Treasury Code, झारखण्ड वित्तीय नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर तत्संबंधित निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. (i) स्रोत पर टैक्स कटौती में वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
- (ii) अभिलेखों को अंकक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।
15. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-05/आ०प्र०(रा.आ.मो.नि.-शीतलहर)-23/2018-230(स्वी०)/आ०प्र०, राँची, दिनांक-26.11.2025

प्रतिलिपि— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सभी उपायुक्त, झारखण्ड,/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी बजट प्रशाखा एवं प्रशाखा-12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड करने हेतु), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।



ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1694

पत्रांक संख्या :- 230(SWI)

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 26/11/2025

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा
सचिव

टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्र, धुर्वा, राँची, झारखण्ड

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार, झारखण्ड का कार्यालय,
पोस्ट - डोरंडा, राँची ।

द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यशीर्ष-2245 अंतर्गत राज्य में शीतलहरी से राहत के
उपाय हेतु सभी उपायुक्त, झारखण्ड को कुल राशि 79,00,000/- (उनासी लाख) रुपये मात्र
की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत ।

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के, राज्य
मुख्यशीर्ष - 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
उपमुख्य शीर्ष - 80-सामान्य
स्थापना व्यय

लघुशीर्ष	राशि
102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	□79,00,000.00
कुलराशि :-	□79,00,000.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
39S224580102130679	13 - शीतलहरी से प्रभावित निःसहायता अनुग्रह	79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	

अनुदान

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तथा सम्बंधित कोषागारों की विवरणी जहाँ से राशि की निकासी की जानी है ।

कोषागार	राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारि	पदनाम	राशि
Jamtara	JMTDAD006:PUNAM KACHAP.	A.C. JAMTARA	□3,00,000.00
Dhanbad	DHNDAD023:ADITYA RANJAN	DY.COMMISSIONER DHANBAD	□3,00,000.00
Gumla	GMLDAD009:LALAN KUMAR RAJAK	N. D. C. GUMLA	□3,00,000.00
Garhwa	GRHLDR003:RAJ MAHESHWARAM	A.C.GARHWA	□3,00,000.00
Hazaribagh	HZBDAD055:SHASHI PRAKASH SINGH	DY.COMMISSINOR HZB	□3,00,000.00
Sahebganj	SBJLDR004:GAUTAM KUMAR BHAGAT	ADDL.COLL.SAHIBGANJ	□3,00,000.00
Pakur	PKRDADA07:MANISH KUMAR	DEPUTY COMMISSIONER PAKUR	□3,00,000.00
Simdega	SDGDAD014:KANCHAN SINGH	DY.COMMISSIONER, SIMDEGA	□3,00,000.00
Ramgarh	RGHDAD059:SANJEET KUMAR	NDC RAMGARH	□3,00,000.00
Jamshedpur	JSRDAD001:CHANDRAJEET SINGH	ESTT.DY.COLLEAST SINGHBHUM	□4,00,000.00
Lohardaga	LDGDAD030:KUMAR TARACHAND	DEPUTY COMMISSIONER LOHARDAGA	□3,00,000.00
Deoghar	DGRLDRA39:HEERA KUMAR	ADDITIONAL COLLECTOR, DEOGHAR	□3,00,000.00
Palamu	PLMDAD002:NIRAJ KUMAR	N.D.C.PLM	□4,00,000.00
Seraikela	SKLDAD013:SURENDRA ORAON	DY. COLLECTOR NAZARAT SKL	□3,00,000.00
Ranchi	RNCDAD034:SUDESH KUMAR	NAJARAT DEPUTY COLLECTOR.	□5,00,000.00
Dumka	DMKDAD011:ABHIJEET SINHA	DEPUTY COMMISSIONER,DUMKA	□4,00,000.00
Godda	GDDDAD020:ANJALI YADAV	DY. COMMISSIONOR, GODDA	□3,00,000.00
Khunti	KHNDADK01:KOMAL KUMARI	NDC, KHUNTI	□3,00,000.00
Koderma	KDMDADA12:RITURAJ	D.C. KODERMA	□3,00,000.00
Latehar	LTRDAD002:RAMA RAVIDAS	ADDITIONAL COLLECTOR	□3,00,000.00
Giridih	GRDDAD026:RAMNIWAS YADAV	DY. COMMISSIONER GIRIDIH	□4,00,000.00
Bokaro	BKRLDR014:MD. MUMTAZ ANSARI	ADDITIONAL COLLECTOR, BOKARO	□3,00,000.00
Chatra	CTRDAD003:KEERTHISHREE G	D.C. CHATRA	□3,00,000.00
Chaibasa	SGHDAD013:DEVENDRA KUMAR	NAZARAT DEPUTY COLLECTOR	□4,00,000.00
		कुलराशि :-	□79.00.000.00

3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।



4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)


26/11/25

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से